दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को प्रातः 11.00 बजे मुख्यमंत्री, दिल्ली एवं अध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में हुई 24 वी बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	सदस्य
4.	श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
5.	श्री ब्रहम सिंह तंवर, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
6.	श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
7.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य
8.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास)	सदस्य
9.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

कार्यवृत्त की पुष्टि

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 21 व 27 जुलाई, 1999 को हुई 23वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

संकल्प संख्या 364

मद संख्या 369 विभिन्न जल संयंत्रों पर पानी के मीटरों की आपूर्ति, स्थपना, चालू एवं परीक्षण ।

मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/255 दिनांक 16.8.99 में वर्णित रू0 169.10 लाख की लागत से बल्क मीटरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं चालू करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया ने पानी के घरेलू मीटरों को लगाने के कार्य पर शीघ्र कार्यवाई किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

संकल्प संख्या 365

मद संख्या 370 रेलवे कालोनी (मण्डावली) शाहदरा में सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/256 दिनांक 16.8.99 में वर्णित रेलवे कालोनी (मण्डावली) शाहदरा में सीवर की व्यवस्था और बिछाने के कार्य को रू0 106.72 लाख की लागत पर करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस मद पर चर्चा के दौरान प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने सुझाव दिया कि एक नीति के रूप में ऐसी कालोनियों में आन्तरिक सीवर बिछाने का कार्य तभी आरम्भ किया जाना चाहिए जब ऐसे क्षेत्रों में परिधिय और ट्रंक सीवर पहले से ही विद्यमान और कार्यात्मक हों ।

कृ.प.उ.

संकल्प संख्या 366

मद संख्या 371 20 मि.गै. दैनिक क्षमता वाले केशोपुर अवजल उपचार संयंत्र पर पुराने 10 मि.गै. दैनिक क्षमता वाले 6 न0 पम्पिंग सैटों का एम.एस.टी.सी. द्वारा निपटान तथा 10 मि.गै.दे. क्षमता के 6 नये सीवेज पम्पिंग सैटों तथा सहायक सामान की आपूर्ति, सस्थापन व चालू करने के लिए अनुमानित लागत की स्वीकृति ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)एस.डी.डब्लयू के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/257 दिनांक 16.8.99 में वर्णित 10 मि.गै. दैनिक क्षमता के 6 पम्पिंग सैटों एवं अन्य उपकरणों का निपटान एम.एस.टी.सी. के माध्यम से करने तथा प्रत्येक की 10 मि.गै.दैनिक क्षमता के 6 नये कच्चे सीवेज पम्पिंग सैटों की खरीद रू0 84,79,948/- की लागत से करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । सदस्यों ने सुझाव दिया कि निपटाए जाने वाले अनुपयोगी पम्पों का सुरक्षित मूल्य वर्तमान कीमतों तथा अन्य मानदण्डों के सन्दर्भ में पुनः निर्धारित, किया जाए ।

संकल्प संख्या 367

मद संख्या 372 नन्द नगरी पुर्नवास कालोनी शाहदरा में आन्तरिक मल निकासी व्यवस्था के छुटे हुए अन्तरालों की व्यवस्था करना/बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)-4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/274 दिनांक 1.9.99 में वर्णित नन्द नगरी पुर्नवास कालोनी शाहदरा में आन्तरिक मल निकासी व्यवस्था के छुटे हुए अन्तरालों की व्यवस्था/बिछाने के कार्य को रू0 25,64,396.40 की लागत पर (दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 16.17% निम्न दर पर)मै0 आजाद बिल्डर्स को आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने यह भी संकल्प लिया कि इस कार्य को बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 368

मद संख्या 373 शालीमार बाग सीवेज पम्पिंग स्टेशन के सामने बैठे हुए सीवर के स्थान पर 900 मि.मी. व्यास का सीवर डालना एवं जोड़ना - संशोधित अनुमान/खर्च स्वीकृति हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी)-2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/275 दिनांक 1.9.99 में वर्णित मै0 रामचरण बंसल को आवंटित उपरोक्त कार्य के लिए रू0 45,10,814/- के संशोधित व्यय/अनुमान तथा मै0 रामचरण बंसल को आवंटित कार्य की अनुबंध राशि को रू0 17,44,457/- से रू0 32,50,903/- में संशोधित करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 369

मद संख्या 374 नरेला से 20 मि.गै. दैनिक क्षमता के जल उपचार संयंत्र बवाना तक 600 मि.मी. व्यास के पी.एस.सी./एम.एस. पानी की मुख्य लाइन की व्यवस्था, बिछाना एवं जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सी)-3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/276 दिनांक 1.9.99 में वर्णित नरेला से 20 मि.गै.दै. क्षमता के जल उपचार संयंत्र बवाना तक पानी की 600 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी./एम.एस. मुख्य पाइप लाइन की व्यवस्था, बिछाने व जोड़ने के कार्य के लिए रू0 2,14,53,736/- के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के प्रसताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि इसे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बोर्ड ने आगे संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए निविदाएं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याशा में आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 370

मद संख्या 375 सरस्वती विहार के निकट बैंक विहार के सामने 42" (1050 एम.एम.)व्यास की बैठी हुई सीवर लाइन के मरम्मत का कार्य ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/277 दिनांक 10.9.99 में वर्णित उपरोक्त कार्य को रू0 45,44,187/– की लागत पर (निविदा राशि से 54% अधिक की दर पर) मै0 रविन्द्रा कनस्ट्रक्शन कम्पनी को आवंटित करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 371

मद संख्या 376 रामपुरा में 3 मि.गै.दै. क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)एस.डी.डब्ल्यू के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/278 दिनांक 10.9.99 में वर्णित उपरोक्त कार्य के लिए विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों के लिए रू0 128.86 लाख तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्रभारों के लिए रू0 20 लाख की संशोधित राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने आगे संकल्प लिया कि विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों के कार्य को रू0 1,28,86,023/– की लागत पर मै0 कैमी–टैक इन्जीनियर्स को आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 372

मद संख्या 377 वर्ष 1999–2000 के लिए पोली अल्युमिनियम क्लोराईड (द्रव्य) की खरीद/आपूर्ति को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/279 दिनांक 10.9.99 में वर्णित 5400 मिट्रिक टन तरल पी.ए.सी. को रू0 2,07,42,858/– की लागत पर खरीदने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली के उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता के बारे में अध्यक्ष महोदया ने चर्चा के दौरान अपनी चिंता जताई । मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अध्यक्ष महोदया को पेयजल की गुणवत्ता के नमूनों की जांच के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संगठन (नेरी), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.) जैसी संस्थाओं को लगाए जाने के प्रस्ताव की जानकारी दी, जिससे की जनता में दिल्ली जल बोर्ड की विश्वसनीयता को सुधारा जा सके । कुछ सदस्यों का मत था कि पेयजल वितरण की लाइनों के अनुरक्षण का कार्य ठीक न होने के कारण पेयजल की गुणवत्ता उत्तम नही है । पानी की लाइनों में रिसाब के कारण होने वाली पेयजल की बर्बादी पर भी चर्चा के दौरान चिन्ता जताई गयी ।

संकल्प संख्या 373

गद संख्या 378 द्वारका सैक्टर–3 में स्लम स्कवाटरों के लिए भूमिगत जलाशय तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/280 दिनांक 10.9.99 में वर्णित नजफगढ़ जोन में द्वारका सैक्टर–3 में स्लम स्कवाटरों के लिए भूमिगत जलाशय तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण तथा पाईप लाइन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने का कार्य रू0 66.18 लाख की लागत से कराए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 374

मद संख्या 379 ईस्ट एण्ड एन्कलेव, शाहदरा के समीप 1600 मि.मी. व्यास की फन्दा/घुमाव सीवर लाइन की व्यवस्था करना/बिछाना ।

मुख्य अभियता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/281 दिनांक 10.9.99 में वर्णित ईस्ट एण्ड एन्कलेव शाहदरा के समीप 1600 मि.मी. व्यास की संयुक्त शाखा सीवर लाइन (लूप सीवर लाइन) की व्यवस्था/बिछाने का कार्य रू0 33,95,805/– की लागत से कराने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । चर्चा के दौरान सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि अतिक्रमणों से सख्ती से निबटने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

संकल्प संख्या 375

मद संख्या 380 सोनिया विहार में 140 मि.गै. दैनिक की क्षमता के उत्तरी शाहदरा में जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु भूमि की चारदीवारी के निर्माण कार्य के संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक 282 दिनांक 10.9.99 में वर्णित सोनिया बिहार, उत्तरी शाहदरा में 140 मि.गै. दैनिक क्षमता के दूसरे जल उपचार संयंत्र की भूमि की पत्थर की चिनाई की चारदीवारी के निर्माण के लिए रू0 1,27,33,535/– के संशोधित अनुमान के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 376

मद संख्या 381 शाहदरा में गणेश नगर–2 (दक्षिणी) में सीवर लाइन की व्यवस्था/बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/283 दिनांक 15.9.99 में वर्णित गणेश नगर–2 (दक्षिणी) शाहदरा में रू0 28.59 की लागत से सीवर लाइन की व्यवस्था व बिछाने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने चर्चा की तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है सदस्यों का मत था कि सेवाओं के उपभोग के लिए उपभोग प्रभार पर विचार किया जा सकता है ।

संकल्प संख्या 377

मद संख्या 382 सीलमपुर पेज 3 तथा 4 पुर्नवास कालोनी शाहदरा में 450-500-700-900 मि.मी. व्यास की उभयनिष्ट सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी)-4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/287 दिनांक 15.9.99 में वर्णित उपरोक्त कार्य को रू0 38,05,311.92 की लागत (दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 35.90% अधिक) मै0 जगदीश कनस्ट्रक्शन कम्पनी को आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि निर्णय को स्थगित रखा जाता है। बोर्ड ने आगे संकल्प लिया कि प्रस्ताव को इस क्षेत्र में आन्तरिक सीवर बिछाने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाए ।

संकल्प संख्या 378

मद संख्या 383 अलीपुर ब्लॉक में पल्ला क्षेत्र के ट्यूबवैलों से 5000 मीटर आर.डी. पर बर्तमान 1200 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी. की पानी की मुख्य लाइन तक आर.एम.ई. के साथ-साथ 250/300/700/900 मि.मी. व्यास की लोहे की पानी की मुख्य लाइन की व्यवस्था, बिछाना एवं जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सी)-3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/288 दिनांक 17.9.99 में वर्णित अलीपुर ब्लॉक में पल्ला क्षेत्र में ट्यूबवैलों से आर.एम.ई. के साथ विद्यमान पी.एस.सी. मेन तक लोहे की पानी की मुख्य लाइन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के कार्य को रू0 2,54,33,992/- की लागत पर करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 379

मद संख्या 384 दिल्ली जल बोर्ड के लिए अनुसंधान एवं विकास कक्ष की स्थापना ।

निदेशक (लेखा एवं वित्त) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/289 दिनांक 17.9.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड की गतिविधियों से संबन्धित विषयों पर समान अनुसंधान एवं विकास में सहयोगी प्रबन्ध करने के लिए अति विशिष्ट शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ उठाए जाने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव पर निर्णय को इस निर्देश के साथ स्थगित रखा जाता है कि इस मामलें में आगे कार्य किया जाए तथा नियत समय में आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास कक्ष की स्थापना के लिए सन्दर्भों की शर्तों के साथ एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए । अध्यक्ष महोदया ने बताया कि सेवाओं के स्तर में सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से स्वाभाविक विशिष्टता तथा अभिवृति को विकसित किए जाने की आवश्यकता है ।

संकल्प संख्या 380

मद संख्या 385 गोपनीय (अलग से परिपत्रित)

संकल्प संख्या 381

मद संख्या 386 हैदरपुर में अवशेष जल पर आधारित 16 एम.जी.डी. क्षमता के जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु ब्लॉक प्राक्कलन ।

संकल्प संख्या 385

मद संख्या 390 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में माउन्टेड टैंकरों तथा मध्यम मोटर वाहनों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हेतु वाहनों को किराए पर लगाना ।

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/294 दिनांक 20.9.99 में वर्णित दिनांक 1.7.99 से 30.9.99 तक 600 वाहनों को पहले स्वीकृत दरों पर किराए पर लगाने के लिए रू0 675 लाख के संशोधित अनुमान को "कार्य पश्चात्" स्वीकृति तथा दिनांक 1.10.99 से 30.11.99 तक 400 वाहनों को 16 घण्टें प्रतिदिन के अनुसार किराए पर लगाने के लिए रू0 205 लाख के अनुमान को स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 386

मद संख्या 391 तुगलकाबाद गांव में अस्थायी पम्प हाउस प सम्प वैल के निर्माण के लिए संशोधित अनुमान।

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/295 दिनांक 20.9.99 में वर्णित उपरोक्त कार्य के लिए रू0 6,14,807/– के संशोधित अनुमान तथा इस कार्य को मै0 अनवर कमाल, जिन्हें यह कार्य मूल रूप से आवंटित किया गया था, से पूरा करवाने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 387

मद संख्या 392 दिल्ली जल बोर्ड में विधि सहायक के पद के लिए भर्ती विनियम ।

निदेशक प्रशासनिक एवं कार्मिक के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/115 दिनांक 20.9.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड में विधि सहायक के पद हेतु भर्ती नियमों के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि मसौदा भर्ती नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने आगे संकल्प लिया कि प्रशासनिक अति–आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधि सहायक के पदों को भरने की प्रक्रिया बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याक्षा में आरम्भ की जाए ।

संकल्प संख्या 388

मद संख्या 393 वर्ष 1999–2000 की अवधि में दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न संयंत्रों पर स्थित उद्यानों/मैदानों के अनुरक्षण/विकास तथा वृक्षरोपण योजना ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/296 दिनांक 21.9.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न संयंत्रों पर बर्ष 1999–2000 की अवधि में वृक्षारोपण अभियान के विवरण पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे रिकार्ड में लिया जाए ।

संकल्प संख्या 389

मद संख्या 394 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.) वाटर वर्क्स के निदेशक (टी0 क्यू0 एवं सी0) द्वारा माह अप्रैल–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (बि.एवं या.)वा0 व0 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/258 दिनांक 16.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 390

मद संख्या 395 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के निदेशक (टी0 क्यू0 एवं सी0)द्वारा माह जनवरी–99 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यों की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/259 दिनांक 16.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 391

मद संख्या 396 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0) द्वारा माह अप्रैल–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/260 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 392

मद संख्या 397 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर बर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (बा0 ब0)111 द्वारा माह मई–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/261 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 393

मद संख्या 398 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर बर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (बा0 ब0)111 द्वारा माह जून–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/262 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 394

मद संख्या 399 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर बर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (बा0 ब0)111 द्वारा माह जुलाई–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/263 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 395

मद संख्या 400 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (बा0 व0)111 द्वारा माह अगस्त–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/264 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 396

गद संख्या 401 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0)111 द्वारा माह सितम्बर–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/265 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 397

मद संख्या 402 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0)111 द्वारा माह अक्टूबर–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/266 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 398

मद संख्या 403 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0)111 द्वारा माह नवम्बर–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/267 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 399

मद संख्या 404 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0)111 द्वारा माह दिसम्बर–98 में रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/268 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 400

मद संख्या 405 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0)111 द्वारा माह जनवरी–99 में रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/269 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 401

मद संख्या 406 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0)111 द्वारा माह फरवरी–99 में रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/270 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 402

मद संख्या 407 मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के अधीनस्थ अधिक्षण अभियंता (वा0 व0)111 द्वारा माह मार्च–99 में रू0 1.00 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो की अनुवन्ध सूची।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/271 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 403

मद संख्या 408 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–5 द्वारा माह मई–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/272 दिनांक 18.8.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 404

मद संख्या 409 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–4 द्वारा माह जुलाई–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/273 दिनांक 1.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 405

मद संख्या 410 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–2 द्वारा माह मई–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/284 दिनांक 15.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 406

मद संख्या 411 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–2 द्वारा माह जून–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/285 दिनांक 15.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 407

मद संख्या 412 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–2 द्वारा माह जुलाई–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/286 दिनांक 15.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 408

मद संख्या 413 उर्दू अकादमी, प्रगति मैदान, दिल्ली चिड़ियाघर, वायरलैस सैन्टर तथा गुरद्वारा दमदमा साहिब के समीप रिंग रोड़ ट्रंक सीवर के बैठे हुए भाग की पुर्नस्थापना ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/287 दिनांक 24.9.99 में वर्णित उपरोक्त कार्य के लिए रू0 1003.0913 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा उपरोक्त कार्य को 530 मीटर की लम्बाई में रू0 937.875 लाख की लागत पर मै0 "डब्ल्यू.ई.आर.एम." इण्डिया लि0 को आवंटित करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। बोर्ड ने गुरद्वारा दमदमा साहिब और वायरलैस सैन्टर के मध्य बैठी सीवर लाइन की मै0 सी.सी.टी.बी. द्वारा क्षति का आकलन कार्य आरम्भ से पहले किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी ।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से चर्चा :–

चर्चा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं मल निकासी सुविधाओं के लिए एकीकृत प्रक्रिया का नियोजन तथा आरम्भ किया जाए । लाभान्वित लोगों से विकास प्रभार लिएं जाए । बोर्ड द्वारा ऐसे गांवों का अध्ययन किया जाए जंहा जल आपूर्ति तथा मल निकासी सुविधाएं प्रदान की जा सकें । बोर्ड ने निर्देश दिया कि अध्ययन रिर्पोट 2 माह के अन्दर प्रस्तुत की जाए ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदस्यों को दिल्ली में ट्रंक सीवर की विद्यमान स्थिति तथा स्थिति में सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड की भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया । उन्होंने बताया कि गाद (सिल्ट) से भरी ट्रंक सीवर की सफाई तथा बैठी हुई ट्रंक सीवर लाइनों की पुर्नस्थापना के लिए रू0 330 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं । इसकी व्यवस्था जापान द्वारा "ओ.इ.सी.एस." के अन्तर्गत की जाएगी । मूल रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डाली गई ट्रंक सीवर लाइनें जो बैठ गई हैं को विश्व बैंक परियोजना के अन्दर पुर्नस्थापित किया जाएगा ।

प्रधान सचिव (श.वि.) ने सुझाव दिया कि दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से सीवर बिछाने का कार्य जमा राशि कार्य के रूप में करने के लिए "नोडल एजेन्सी" बनाया जाना चाहिए। सीवर लाइनों के बैठ जाने के कारणों का पता लगाने तथा सीवर लाइनें बिछाने के लिए मापदण्ड निर्धारित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड में तकनीकी समिति का गठन किया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि इस विषय पर निर्णय लेने के लिए एक उचित नोट प्रस्तुत किया जाए ।

कुछ सदस्यों ने बताया कि जल आपूर्ति तथा मल निकासी व्यवस्था के अभाव में ग्रामीण गांवों के निवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने सुझाव दिया कि लोगों की समस्याओं के हल के लिए गांवों में "इको" पार्को का विकास किया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि यथासम्भव 200 गांवों के लिए जल आपूर्ति एवं मल निकासी प्रबन्धन के लिए एकीकृत परियोजना पर विचार किया जाना चाहिए । दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवश्यक योजना प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए ।

बोर्ड के सदस्यों का मत था कि जिन कालोनियों में अभी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है, वहां पानी की लाइनें तथा आन्तरिक सीवर लाइनें एक ही समय में डालने के लिए बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिए । विकास प्रभार भी साथ–साथ वसूल किए जाने चाहिए ।

बोर्ड ने दिल्ली जल बोर्ड के वाहन चालक स्व0 श्री राजेश कुमार, जिनकी दिनांक 2-8-1999 को डकैतों से विभाग का कैश लुटने से बचाने के प्रयास में मृत्यु हो गई थी, की याद में दो मिनट का मौन रखा ।

अरविंद रे

सचिव

अध्यक्ष

गोपनीय

संकल्प संख्या 380

मद संख्या 385 श्री एस.सी. चोपड़ा, विधि अधिकारी (सेवा निवृत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/114 दिनांक 18.8.1999 के अनुसार प्रस्तुत श्री एस.सी. चोपड़ा, विधि अधिकारी (सेवा निवृत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी अधिकारी को उनकी टिप्पणी हेतु दिए जाने तथा इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की दूसरे स्तर की सलाह (सैकिन्ड स्टेज एडवाइस) लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की । सदस्यों ने मामले को निबटाए जाने की धीमी गति तथा असाधारण विलम्ब पर अपनी चिन्ता जताई तथा अप्रसन्नता व्यक्त की ।

अरविन्द दे

सचिव

अध्यक्ष